कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/स्थानान्तरण/2021 दिनांक 04.01.2021 द्वारा श्री रोहिताश सिंह गढवाल, प्रधानाचार्य, राउमावि वामलास जिला झुन्झुनूं का स्थानान्तरण राउमावि हिलोडी जिला नगौर किया गया था जिसके विरूद्ध राहिताश सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 775/2021 रोहिताश सिंह गढवाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई ।

अपील संख्या 775/2021 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.02.2021 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत कठिनाईयों के सम्बन्ध में 2 सप्ताह की अवधि में सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा उपर्युक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विधि अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए 15 दिवस में निस्तारित किये जाने एवं ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर स्वयं को 300 किमी दूर स्थानान्तरित किये जाने, पिता के देहांत हो जाने एवं अपनी माताजी के गंभीर बीमारी से पीड़ित होने के को दृष्टिगत रखते हुए अपना पदस्थापन राउमावि जसवंतगढ जिला नागौर/राउमावि सारडी जिला नागौर अथवा राउमावि ढींगसरी जिला नागौर किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का माननीय अधिकरण के निर्णय एवं राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन में स्वयं को 300 किमी दूर पदस्थापित किये जाने का अभिकथन किया गया है जिसके सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी राज्य सेवा के अधिकारी हैं और उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में भी दूरी के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप को उचित नहीं माना गया है क्योंकि एक लोकसेवक को राज्य में जहां भी पदस्थापित किया जाता है, वहां उसे कार्य करना होता है। अन्यत्र पदस्थापन से उसके विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा अपनी माताजी की अस्वस्थता के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 24.09.2019 के अनुसार माता–पिता/पुत्र–पुत्री/पति–पत्नी अथवा अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष देय नहीं है। उपर्युक्तानुसार तथ्यों के परीक्षण एवं विश्लेषणोपरांत अपीलार्थी द्वारा की गई मांग उचित नहीं होने के कारण उनका अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/रोहिताश सिंह/775/2021/213 दिनांकः 12.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू/अजमेर, चूरू/अजमेर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, झुन्झुनूं/नागौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक झुन्झुनूं/नागौर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. श्री रोहिताश सिंह गढवाल, स्थानान्तरणाधीन प्रधानाचार्य राउमावि हिलोडी जिला नागौर।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)